

24-9-2021

816/4

राजस्थान - सरकार

-: न्यायालय का नाम :-

तहसीलदार (राजस्व), नोहर

नाम सीगा	नम्बर रजिस्टर	तारीख दायरा	तारीख फैसला	तादाद कागजात			नं० रजि० मुहा०
				क	ख	योग	
धारा 22	18/2021	15/9/2021					

	ब	हुनुमान पुत्र दुबगर राम
सरकार	ना	जाति गजग्या वगी सा.
	म	रवर सण्डी

(श्री

वकील)

(श्री

वकील)

फहरिस्त कागजात

नम्बर शुमार	तारीख शामिल	विवरण कागजात	तादाद



फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत तहसीलदार (राजस्व) मुकाम नोहर स्टेट बनाम हनुमान पुत्र डुंगरराम जाति ब्राह्मण वगै० साकिन खरसण्डी, किस्म मुकदमा धारा 22 उप० अधि० 1954 मु०नं०...18..सन्

2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
15/09/2021	<p>पटवारी हल्का ललानिया द्वारा ग्राम खरसण्डी के अप्रार्थीगण संख्या 1 हनुमान पुत्र डुंगरराम जाति ब्राह्मण साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि के खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है० मे से 0.063 है० ग्वार एवं 0.063 मे बाजरी 2 श्योचन्द मनफूल पि० लादुराम जाति जाट साकिन नगरासरी द्वारा गै०मु० चारागाह की भूमि खसरा नं. 64/295 की कुल 1.934 है० मे से 0.126 है० ग्वार 3 राजेराम पुत्र प्रेमराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है० मे से 0.063 है० ग्वार संवत् 2078 खरीफ फसल काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गयी।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को राज. उप. अधि. 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया जावे एवं गिरदावर हल्का जबरासर को खडी फसल कुर्क करने हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 24/09/2021 को पेश हो।</p>	
24/09/21	<p>परपक्षी पेशी मे ली गयी अप्रार्थीगण की पक्षी पेशी को लगे लगे गये ली गयी परपक्षी पेशी मया एल गये लगी रिपोर्ट मया रिपोर्ट की संख्या मे परपक्षी रिपोर्ट 81/09/21 को पेश की गयी</p>	
81/09/21	<p>परपक्षी पेशी मे ली गयी परपक्षी पेशी रिपोर्ट मया ली गयी परपक्षी पेशी रिपोर्ट मया ली गयी रिपोर्ट मया ली गयी रिपोर्ट मया ली गयी</p>	

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) नोहर

प्रकरण संख्या 18

सन् 2021

राज.सरकार

बनाम

हनुमान पुत्र डुंगरराम जाति ब्राह्मण वगै० साकिन खरसण्डी

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांक:- 28.10.2021


संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ललानिया ने एक रिपोर्ट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण 1 हनुमान पुत्र डुंगरराम जाति ब्राह्मण साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि के खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है० मे से 0.063 है० ग्वार एवं 0.063 मे बाजरी 2 श्योचन्द मनफूल पि० लादुराम जाति जाट साकिन नगरासरी द्वारा गै०मु० चारागाह की भूमि खसरा नं. 64/295 की कुल 1.934 है० मे से 0.126 है० ग्वार 3 राजेराम पुत्र प्रेमराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है० मे से 0.063 है० ग्वार की नाजायज काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थीगणों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया अप्रार्थीगण स्वयं से तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को बार-बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पटवारी हल्का ललानिया द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रश्नगत भूमि पर नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू०अ०नि० जबरासर को मौके से नाजायज अतिक्रमण को हटा कर अप्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु आदेश जारी हो। अप्रार्थीगण को भू-राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान राशि लगभग रू. 50/- से दण्डित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक हल्का जबरासर द्वारा कुर्क शुदा फसल को दिनांक 21.10.2021 को कुर्क शुदा फसल को निलाम किया गया उच्चतम बोली जयकरण पुत्र हजारीराम जाति जाट साकिन खरसण्डी ने 490 रूपए लगाई जो स्वीकृत की जाती हैं एवं अलग से आदेश जारी हो कि अतिक्रमीयों को मौके से बेदखल कर रिपोर्ट पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

28.10.2021

पत्रावली पेशी में ली गई। भूअभिनिरीक्षक से फर्द निलामी रिपोर्ट दिनांक 25.10.2021 को प्राप्त जो सामिल पत्रावली की गई। जयकरण पुत्र हजारीराम जाति जाट साकिन खरसण्डी ने 490 रूपए की लगाई जो बाद अनुमोदन दिनांक 25.10.2021 को स्वीकृत कर सामिल पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थीगण को जारी नोटिय स्वयं से बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ है फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नही बार-बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नही। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थीगण 1 हनुमान पुत्र डुगरराम जाति ब्राह्मण साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 रास्ता की भूमि के खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है0 मे से 0.063 है0 ग्वार एवं 0.063 मे बाजरी 2 श्योचन्द मनफूल पि0 लादुराम जाति जाट साकिन नगरासरी द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 64/295 की कुल 1.934 है0 मे से 0.126 है0 ग्वार 3 राजेराम पुत्र प्रेमराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 रास्ता की भूमि खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है0 मे से 0.063 है0 ग्वार संवत् 2078 खरीफ फसल नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भूराजस्व का 50 गुणा के बराबर तावान राशि लगभग 50 रू0 से दण्डित किया जाता है। भूअभिनिरीक्षक को अलग से आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल किया जाकर पालना रिपोर्ट सात योम में भिजवाये।

पटवारी हल्का/तहसील राजस्व लेखाकार को आदेशित किया जाता है कि तावान की मांग कायम कर वसूली कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28.10.2021 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।


तहसीलदार(राजस्व)
नोहर

प्रारूप-क

(देखिये नियम 3)

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अधीन नोटिस

तहसीलदार (राजस्व) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के न्यायालय में मिसलेनियस केस संख्या 18/सम्वत् 2078 सरकार बनाम शयोचन्द, मनफूल पि. लडुराम जाति 612 का-नगरवरी

तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

अतः आपने ग्राम खरखोडी से ख. न. 64/295 चारागाह भूमि पर 0.126 हे
भूमि पर उवार की फसल काश्त की है

संवत् 2078 खरीफ फसल काश्त कर अतिक्रमण अनधिभोगी सरकारी भूमि पर अतिचार किया है।

एतद् द्वारा आपको नोटिस दिया जाता है कि आपको दिनांक 24/09/21 से पूर्व उक्त भूमि खाली कर देनी चाहिए या आपको व्यक्तिगत रूप से स्वयं या किसी प्लीडर द्वारा दिनांक के दिन समय 11 बजे हाजिर होना चाहिए और कारण बताना चाहिए कि क्यों नहीं आपको उससे बेदखल कर दिया जावे।

आपसे यह कारण बताया जाना भी आपेक्षित है कि सम्वत् 2078 के दौरान उक्त भूमि पर विचार करने के लिए वार्षिक लगान या कर निर्धारण, यथा स्थिति, को 50 गुनी तक शास्ति क्यों नही अधोरोपित की जावे।

यह ओर नोटिस दिया जावे कि आपने गत कृषि वर्ष में उसी भूमि पर अधिकार किया था। यह नोटिस आपका वर्ष 2078 में हुए पचावर्ती अतिचार के संबंध में दिया जा रहा है। आपसे यह कारण बताया जाना भी आपेक्षित है कि क्यों नही आपको ऐसी अवधि के लिए सिविल कारागार के सुपूर्द कर दिया जाये व वार्षिक लगान या कर विवरण यथा स्थिति को 50 गुना तक शास्ति का संदाय करें।

यह नोटिस भी दिया जाता है कि उक्त तिथि को आपको हाजिर न होने पर, मामला आपकी अनुपस्थिति में विनि चत किया जायेगा।

आज दिनांक 15/09/21 को दिन मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रा अंकित की गई।

30
(राज्य सरकार द्वारा अधिकृत)
तहसीलदार (राजस्व)
9C नोहर

2/10/21
8/10/21

फर्द कुर्की एवं सुपुर्दगीनामा

18/21

आज दिनांक : - 8/10/2021 को श्रीमान तहसीलदार साहब

मोहर के आदेशानुसार अतिक्रमी श्री हनुमान पुत्र श्री डुगराम गोरे

जाति ब्राह्मण निवासी खरसोडी की चल / अवल संपत्ति हनुमान पुत्र डुगराम

ज्वारि ब्राह्मण सा. खरसोडी गौ-डु. रास्ता ख. न. 124 पर

0.063 ई ग्वार एवं 0.063 पर बाजरी, श्योचन्द मनपूरफि.

लडुराम ज्वारि ज्वार सा. नगरासरी द्वारा ख. स. 64/295 भी

गौ. ड. चारागाड पर 0.126 ई ग्वार ③ राजेशराम पुत्र जेभाशराम

ज्वारि ज्वार सा. खरसोडी द्वारा गौ. ड. रास्ता ख. न. 124 पर

0.063 ई ग्वार भी फसल को

को कुर्क कर बहक सरकार ली गई एवं पाबंद किया कि कुर्क शुदा संपत्ति सुर्द बुर्द न करे

अन्यथा पुलिस कार्यवाही की जावेगी।

उक्त कुर्क संपत्ति श्री पुत्र श्री जाति

राजेश्वर सिंह पटवारी

निवासी की सुपुर्दगी में देकर हिदायत दी गई कि कुर्क संपत्ति सुर्द बुर्द हो तो

रिपोर्ट करे।

तहरीर पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर कराये गए।

8/10/2021

डुगराम
8-10-2021

दि. न. 18/21

फर्द निलामी

आज दिनांक 21/10/2021 को श्रीमान् तहसीलदार मोहदय नोहर के आदेश क्रमांक राजस्व/21/980 दिनांक 8/10/21 की पालना में ग्राम खरसोड़ी के खसरा नं. 124, 64, की ज. कु. रास्ता, वारागाह भूमि में फसल ग्वार नाजायज कास्त निम्नांकित व्यक्तियों ① धनुमान पुत्र दुगरराम जाति ब्राह्मण सा. खरसोड़ी, ② शयोचन्द, मनफूल फि लादुराम जाति जाट सा. नगरासरी ③ राजेशराम पुत्र जेमाराम जाति जाट सा. खरसोड़ी ।

द्वारा की गई थी। को बहक सरकार कुर्क कर लिया गया था। उक्त फसल की निलामी हेतु सार्वजनिक सुचना जारी कर ग्राम के मोतबिरान के रूबरू निलामी बुलाई गई वर्तमान में फसल कम वर्षा के कारण कमजोर है ।

निम्नांकित व्यक्तियों ने उपरोक्त फसल की बोली निम्नानुसार लगाई है।

क्र. स.	बोलीदाता	बोली की राशी		
			I	II
1.	श्री <u>राजेश कुमार पुत्र श्री मनफूल</u> जाति <u>मेघवाल</u> साकिन <u>खरसोड़ी</u>	300	450	
2.	श्री <u>जयकरन</u> पुत्र श्री <u>हजारीराम</u> जाति <u>जाट</u> साकिन <u>खरसोड़ी</u>	350	490	
3.	श्री <u>सुरेश कुमार</u> पुत्र श्री <u>मादरराम</u> जाति <u>जाट</u> साकिन <u>खरसोड़ी</u>	310		
4.	श्री <u>हसराम</u> पुत्र श्री <u>दुखराम</u> जाति <u>दुधार</u> साकिन <u>खरसोड़ी</u>	400		

उपरोक्त में श्री जयकरन पुत्र श्री हजारीराम जाति जाट साकिन खरसोड़ी की बोली उच्चतम रही है। अतः उक्त के नाम फसल निलामी छोड़ी गई है।

राजेश
श्री. श्री. नि. जयरासरी
21-10-2021

Om
21/10/2021
राजस्व पंखारी
कम ललासिया

सुरेश कुमार
जयकरन

हसराम

राजेश जयरासरी

हसराम
21/10/21

कार्यालय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ


क्रमांक/राजस्व/2021/1181

दिनांक: 28.10.2021

आदेश

इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 18/2021 में निर्णय दिनांक 28.10.2021 के द्वारा अप्रार्थीगण सं० 1 हनुमान पुत्र डुगरराम जाति ब्राह्मण साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि के खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है० मे से 0.063 है० ग्वार एवं 0.063 मे बाजरी 2 श्योचन्द मनफूल पि० लादुराम जाति जाट साकिन नगरासरी द्वारा गै०मु० चारागाह की भूमि खसरा नं. 64/295 की कुल 1.934 है० मे से 0.126 है० ग्वार 3 राजेराम पुत्र प्रेमराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है० मे से 0.063 है० ग्वार संवत् 2078 खरीफ नाजायज काश्त करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर भू०अ०नि० जबरासर को अतिक्रमी को बेदखली आदेश दिया गया है तथा जुर्माना स्वरूप राशि 50 रुपये से तावान दण्डित किया गया है।

अतः उक्त अतिक्रमी को विवादित भूमि में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तुरन्त नियमानुसार बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात दिवस में प्रस्तुत करे।



तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

क्रमांक/राजस्व/2021/1181

दिनांक:- 28.10.2021

प्रतिलिपि:-निम्न को पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी हेतु।
2. भूअभिलेख निरीक्षक जबरासर को भेजकर लेख है कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात योम में प्रस्तुत करें।
3. पटवारी हल्का ललानिया को भेजकर लेख है कि तावान की वसूली कर बेदखली की कार्यवाही करे।


तहसीलदार (राजस्व)
नोहर